

.....N.J. stamp annexed & cancelled

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



30 वीराज कलियर

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड राज्या विधान सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर

के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं,

योगेश

पुत्र/पुत्री/पत्नी जगदीश

आयु 44 वर्ष,

2012 जो

गाम मूलदास 523 गाँव गजरा का

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता

हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

कतमान नहीं है

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

क्र.सं. 224/1995 नाम गोगनद लखी
415 307/504/506/PC-PS गोगनद
6507

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 224/1995

(ii) पुलिस थाना (थाने) गोगनद जिला (जिले) हरद्वार राज्य उ.प्र.

स.प.क्र.सं. 6/162/97 ड. 02/06/2003 ड.

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है यही

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई J.M. Roshanabad Haridwar - C.No. 444/2011

Super Salvo Cop. vs Yogesh
Fixed 30/01/2012 - लाइन कारी

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक दी गई है/हैं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

योगेश

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले).....

..... राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

स्थान 15.01.12
तारीख 11.01.2012

✓ पौरोथ

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

..... स्थान पर आज तारीख 11.01.2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पौरोथ



SWORN & AFFIRMED BEFORE ME
Shri. Sharan Nath Sharma
Advocate & Notary
Roorkee, Haridwar (U.P.)
Regn. No. 49(05)10
11-01-2012

IDENTIFIED BY
R

टिप्पणी: - इस प्ररूप के वे स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जायें।



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 918779

कोवाधिकार (हडकी)
कोड संख्या - 5500
14 DEC 2011
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2010-2011

योगेश 44 वर्षीय पुत्र जगदीश
नि. ग्राम इलाहाबाद जिला मथुरा का जेठ दोनपुर
प.स. लखी जिला हरिद्वार



11.06.2012

योगेश